फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

गायत्री पनाह चन्दा बोर्ड

T. 2/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/5/18	आज मुद्दा पंचायत समिति लोकअदालत के समक्ष पेश किया गया मुकदमा वकील पर मुकदमा वाद के साथ पेश हो वकील तामील हेतु अतिरिक्त। तामील बयान पेश। वकील तामील द्वारा मुकदमा वाद का Not press किया जाने पर मुकदमा वाद खारिज किया जाता है। अतः पंचायत समिति विधान की स्वतः ही खारिज माना जाता है पंचायत समिति अधिनियम के धारा 7 के तहत	किशनाराम साटर अमरा किशनाराम किशनाराम मिश्रीलाल श्योजीराम छोटीलाल नारायण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चूरू

Scanned by CamScanner